जिला–नालन्दा।
न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष
न्यायाधीश (SC/ST) बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितः– धीरज कुमार भास्कर
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश (SC/ST)
बिहारशरीफ, नालदा।

(SC/ST) थाना काण्ड सं0– 46 / 2019

विशेष वाद सं0 192 / 2019

अन्तर्गत धारा–341, 323, 448, 504, 506 / 34 भा.द.वि. एवं धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (यह वाद (SC/ST) थाना काण्ड सं0 46 / 2019 विशेष वाद संख्या– 192 / 2019 से उद्भूत)

घटना की तिथिः–	09.08.2019
प्राथमिकी की तिथि–	30.09.2019
आरोप पत्र की तिथि–	30.04.2020
दौड़ासुपुर्दगी की तिथि–	–
आरोप गठन की तिथि–	14.03.2022
साक्ष्य शुरू होने की तिथि–	16.08.2022
निर्णय निर्धारित रखने की तिथि–	13.07.2026
निर्णय की तिथि–	11.08.2026

राज्य द्वारा सूचिकाः– सुषमा देवी, पति–गौरव कुमार उर्फ गौतम कुमार
साकिन–बलबाचक, थाना–सिलाव, जिला–नालंदा।

अभियुक्तों की श्रेणी–

ए–1 प्रमोद कुमार, पे0 कृष्णा चौहान	उम्र 33 वर्ष।
ए–2 निरंजन चौहान, पे0 चंदर चौहान	उम्र 32 वर्ष।
ए–3 कांति देवी, पति अवधेश नोनिया	उम्र 45 वर्ष।
ए–4 विनोद चौहान, पे0 सताइन चौहान	उम्र 35 वर्ष।

साकिन–बलवाचक, थाना–सिलाव, जिला–नालंदा।

न्यायालय– धीरज कुमार भास्कर, अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,नालंदा, बिहारशरीफ

2

गिरफतारी / आत्मसमर्पण की तिथि–(ए1,ए2,ए3) दिनांक–17.03.2020, (ए4) दिनांक–18.03.2020

जमानत की तिथि–(ए1,ए2,ए3) दिनांक–17.03.2020, (ए4) दिनांक–18.03.2020

अभियुक्त को सजा मुक्त किया गया है अथवा दोषी पाया गया है– दोषमुक्त।

अभियोजन की ओर से– श्री राणा रंजीत सिंह, विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक।

सफाई पक्ष की ओर से – श्री अरविंद कुमार, विद्वान् अधिवक्ता।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त चारों अभियुक्त प्रमोद कुमार, निरंजन चौहान, कांती देवी एवं विनोद चौहान के विरूद्ध धारा–341, 323, 448, 504, 506 / 34 भा.द.वि. एवं धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोपों का विचारण किया गया है।

2. सूचिका सुषमा देवी के परिवाद पत्र के आधार पर अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक–09.08.2019 को सुबह करीब 8.30 बजे सूचिका अपने घर में जानवर को सानी–पानी दे रही थी तो सूर्यमणी चौहान, प्रमोद चौहान, निरंजन चौहान, धर्मवीर चौहान, मिथलेश चौहान, सुरज कुमार, सुरेन्द्र चौहान,कांति देवी एवं विनोद चौहान हरवे हथियार से लैश होकर घर में घुस गये तथा जाति सूचक गाली गलौज करने लगे। सूर्यमणी चौहान एवं प्रमोद चौहान सूचिका को बुरी नियत से पकड़ कर ब्लाउज फाड़ दिया तथा बेईज्जत करने का प्रयास किया। निरंजन चौहान, धर्मवीर चौहान,मिथलेश चौहान सूचिका को लाठी डंडा से मारपीट किये, जिससे उसका सर फट गया। उसके गले से एक भर का सोने का चैन छीन लिया। सूचिका के हल्ला करने पर उसके पति गौरव कुमार उर्फ गौतम कुमार पासवान आया तो उसे भी सुरज कुमार एवं सुरेन्द्र चौहान लाठी एवं लोहे के रड से मारपीट कर जख्मी कर दिये। गॉव के लोग एवं परिवार के अन्य लोग आ गये तो सभी अभियुक्तगण धमकी देते हुए भाग गये कि केस करोगी तो गॉव से भगा देंगे।

3. सूचिका सुषमा देवी के परिवाद पत्र के आधार पर एस0सी0 / एस0टी0 थाना कांड सं0 46 / 2019 दिनांक 30.09.2019 को अभियुक्त सूर्यमणी चौहान, प्रमोद कुमार, निरंजन चौहान, धर्मवीर चौहान, मिथलेश चौहान, सुरज कुमार, सुरेन्द्र चौहान, कांति देवी एवं विनोद चौहान के विरूद्ध धारा– 341, 323, 307, 379, 349, 354(B), 448, 504, 506 / 34 भा.द.वि. एवं धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त सूर्यमणी चौहान, धर्मवीर चौहान, मिथलेश चौहान, सूरज कुमार एवं सुरेन्द्र चौहान को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अभियुक्त प्रमोद कुमार, निरंजन चौहान, कांती देवी एवं विनोद चौहान के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 37 / 2020 दिनांक 30.04.2020 धारा–341, 323, 448, 504, 506 / 34 भा.द.वि. एवं धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत समर्पित किया गया।

4. तद्नुसार दिनांक–31.01.2022 को चारों अभियुक्त प्रमोद कुमार, निरंजन चौहान, कांती देवी एवं विनोद चौहान के विरूद्ध धारा–341, 323, 448, 504, 506 / 34 भा.द.वि. एवं धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. उपरोक्त अभियुक्त प्रमोद कुमार, निरंजन चौहान, कांती देवी एवं विनोद चौहान के विरूद्ध धारा– 341, 323, 448, 504, 506 / 34 भा.द. वि. एवं धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठित कर आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्तों ने इंकार किया एवं विचारण का दावा किया।

6. उपरोक्त नामित अभियुक्तों का धारा 313 द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत बयान अंकित किया गया।

7. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

8. अभियोजन द्वारा आरोप को प्रमाणित करने हेतु पॉच साक्षी को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न है :–

(i). अभियोजन साक्षी संख्या–1 ओम प्रकाश प्रसाद	(सूचिका का ससुर)
(ii).अभियोजन साक्षी संख्या–2 कमलेश यादव	अन्य साक्षी
(iii).अभियोजन साक्षी संख्या–3 सुषमा देवी	(सूचिका एवं वाद के जख्मी)
(iv).अभियोजन साक्षी संख्या–4 पवन कुमार	अन्य साक्षी
(v).अभियोजन साक्षी संख्या–5 गौरव कुमार	(सूचिका के पति)

अभियोजन की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. बचाव पक्ष की ओर से न तो मौखिक और न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

मन्तव्य

10. उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह मंतव्य है कि किसी भी कांड में अभियोजन पक्ष को दो बिन्दुओं को साबित करना आवश्यक होता है, जिसमें प्रथमतया अपराध हुआ है और दूसरा अपराध आरोपित व्यक्ति द्वारा किया गया है। दांडिक विधि के सिद्धांत के अनुसार सबूत का भार केवल अभियोजन के ऊपर होता है तथा वह अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं होता है। यदि अपराध की प्रकृति गंभीर हो तो अभियोजन के ऊपर यह दायित्व अधिक होता है कि वह सारवान साक्षियों से लगाये गये आरोपों को साबित करे। विधि यह कतई अनुमति नहीं देती है कि मात्र नैतिकता या संदेह के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

11. उभय पक्षों का बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचिका सुषमा देवी एवं उसके पति गौरव कुमार के साथ मारपीट करने, गाली देने एवं जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने तथा सूचिका के साथ छेड़खानी करने के लिए अभियुक्त प्रमोद कुमार, निरंजन चौहान, कांती देवी एवं विनोद चौहान के विरूद्ध धारा– 341, 323, 448, 504, 506 / 34 भा.द.वि. एवं धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठित किया गया। अभियोजन की

ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने हेतु पॉच साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें **साक्षी संख्या–01 ओम प्रकाश प्रसाद(सूचिका का ससुर), साक्षी संख्या–02 कमलेश यादव, संख्या–03 सुषमा देवी(सूचिका एवं वाद के जख्मी), संख्या–04 पवन कुमार, संख्या–05 गौरव कुमार(सूचिका के पति) है।** अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का निर्धारण करने हेतु उक्त पॉचों साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत होता है। साक्षी संख्या–03 सुषमा देवी, जो वाद की सूचिका है, ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन की है कि घटना चार वर्ष पूर्व समय 4.00 बजे सुबह की है। उस दिन वह अपने घर पर थी तो कांति देवी से बोला बोली हो गया था। उसी समय कुछ ग्रामीण डंडा लेकर घर में घुस गये, जिसका वह विरोध की तो गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट किया तथा उसके पति के साथ भी मारपीट किया। कांति देवी उसका सोने का चैन छीन लिया। उसका तथा उसके पति का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिलाव में हुआ था। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त कांति देवी एवं विनोद चौहान को पहचानी है तथा अन्य को देखकर पहचानने की दावा की है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन की है कि झगड़ा में उसे कैसे चोट लगा, वह नहीं देखी। उसके पति एवं सास को कैसे चोट लगा, वह नहीं देख पायी। साक्षी का आगे कथन है कि नाली को लेकर विवाद हुआ था, उसे जाति सूचक गाली दिया गया। कांति देवी भी पलटा वाद उनलोगों पर की थी। दोनों केस में राजी–खुशी से समझौता हो गया है। अब कोई विवाद नहीं है। उसने मुकदमा अभियुक्तों के साथ सुलह कर ली है। सुलहनामा आवेदन पर अॅगूठा का निशान दी हूॅ।

साक्षी संख्या–01 ओम प्रकाश प्रसाद, जो सूचिका के ससुर हैं, ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2019 समय 9.00 बजे दिन की है। उस समय उसकी बहु जानवर को खाना दे रही थी तो रिंकी देवी, निरंजन चौहान, प्रमोद चौहान, धर्मवीर चौहान, मिथलेश चौहान, सूरज चौहान आकर उसकी बहु के साथ मारपीट करने लगे। उसका पुत्र बचाने गया तो उसके साथ भी वे लोग लोहा के रड से मारपीट किये, जिससे उसका सर फट गया। वह बचाने गया तो निरंजन चौहान उसे मारने लगा। गॉव के लोग आये तो वे लोग भाग गये। साक्षी ने मुदालहगण को देखकर पहचानने का दावा किया है। साक्षी ने अपने Recall प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसे, उसके पुत्र एवं बहु के साथ मारपीट तथा गाली गलौज नहीं किये थे। भीड़ होने के कारण वह नहीं कह सकता है कि उसके पुत्र के साथ किसने मारपीट किया। इस केस में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है तथा सुलहनामा पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर / अॅगूठा का निशान है। साक्षी का आगे कहना है कि उसे तथा उसके परिवार को किसी मुदालह ने जाति सूचक शब्द कहकर गाली नहीं दिया। मुदालहगण से अब अच्छा संबंध है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है।

साक्षी संख्या–02 कमलेश यादव, ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह घटना के बारे में नहीं जानता है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था। उसने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुदालहगण उसके ग्रामीण हैं इसलिए उन्हें पहचानता हूॅ। अभियोजन के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

साक्षी संख्या–04 पवन कुमार, ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह घटना के समय खेत पर था। खेत से वापस लौटा तो जानकारी मिली की कांति देवी और गौरव कुमार के बीच झगड़ा हुआ है। कांति देवी को चोट लगी थी। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानता है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था। किसको चोट लगा और कैसे चोट लगा, वह नहीं बता सकता है। इस केस की सूचिका से उसका अच्छा संबंध है।

साक्षी संख्या–05 गौरव कुमार, जो सूचिका के पति हैं, ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना पॉच–छह वर्ष पूर्व बारह बजे दिन की है। उस दिन उसकी पत्नी सुषमा देवी जानवर को चारा डाल रही थी तो कुछ लोग हरवे–हथियार से लैश होकर आये तथा गाली गलौज करने लगे। बुरी नियत से उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। विरोध करने पर लाठी, डंडे से मारपीट किये। कांति देवी और वह बचाने आया तो इनके साथ मारपीट करने लगे। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचानता है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुदालहगण उसके साथ मारपीट नहीं किये और न ही उनके पत्नी, मॉ के साथ जाति सूचक गाली गलौज किया। उसके पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया था। आज तक उसे पता नहीं चला की घटना किसने किया था। मुदालहगण घटना में संलिप्त नहीं थे, जिसके कारण सभी मुदालह से समझौता हो गया है। कोई शिकायत नहीं है। मुदालहगण गॉव के हैं, इसलिए वह उसे पहचानता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि मुकदमा उभय पक्षों के बीच सुलह हो गया है। अभिलेख पर सुलहनामा आवेदन उपलब्ध है,जिस पर उभय पक्षों के हस्ताक्षर / अॅगूठा के निशान को उनके विद्वान् अधिवक्ताओं के द्वारा पहचान किया गया है। धारा–320(1)द0प्र0सं0 के अंतर्गत अवरोधी, जख्मी, अपमानित व्यक्ति एवं जिसके घर में प्रवेश किया गया है, उसके स्वामी के द्वारा सुलह कर लेने पर धारा–341, 323,448, 504, 506 भा0द0वि0 के अपराध का शमन स्वतः हो जाता है, परंतु अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप शमनीय नहीं है। अतः इस अपराध का निर्धारण वाद के गुणदोष के आधार पर किया जायेगा। इस संदर्भ में साक्षी संख्या–03 सुषमा देवी, अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कही है कि उसे जाति सूचक गाली दिया गया। परंतु उक्त घटना सूचिका सह साक्षी सुषमा देवी के घर में घटी। अतः अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप आकृष्ट नहीं होगा। साक्षी संख्या–01 ओम प्रकाश प्रसाद(सूचिका के ससुर), ने अपने Recall प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसे तथा उसके परिवार को किसी ने जाति सूचक शब्द कहकर गाली नहीं दिया। साक्षी संख्या–02 कमलेश यादव ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही घटना से अनभिज्ञता जाहिर किया है। अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी संख्या–04, पवन कुमार ने अपने परीक्षण के दौरान कहा है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था। साक्षी संख्या–05 गौरव कुमार, जो सूचिका के पति हैं, ने अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे तथा उसकी पत्नी, मॉ को किसी अभियुक्त ने जाति सूचक गाली नहीं दिया है। इस तरह अभियोजन

न्यायालय– धीरज कुमार भास्कर, अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,नालंदा, बिहारशरीफ

6

अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को सिद्ध करने में असफल रहा है। धारा–34 भा0द0वि0 हमेशा मुख्य धारा के साथ जुड़ा रहता है तथा जब मुख्य धारा शमनीय हो जाता है या सिद्ध नहीं हो पाता तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

आदेश

12. न्यायालय अभियुक्त प्रमोद कुमार(ए1), निरंजन चौहान(ए2), कांति देवी(ए3) एवं विनोद चौहान(ए4) को सुलह के आधार पर धारा–341, 323,448, 504, 506 / 34 भा0द0वि0 तथा संदेह का लाभ देते हुए धारा– 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा करती है। साथ ही अभियुक्तों के प्रतिभूओं को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

(निर्णय टंकित, हस्ताक्षरित एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया।)

ह0 / –
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह
विशेष न्यायाधीश (SC/ST)
बिहारशरीफ,नालन्दा
11.08.2026

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0 / –
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह
विशेष न्यायाधीश (SC/ST)
बिहारशरीफ, नालन्दा
11.08.2026

न्यायालय– धीरज कुमार भास्कर, अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,नालंदा, बिहारशरीफ

7

FORM C

अभियोजन / बचाव पक्ष / गवाह की सूची

A. अभियोजन

क्रम सं0	नाम	गवाह की प्रकृति, प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सक गवाह, पंच,अन्य गवाह
(i). अभियोजन साक्षी संख्या–1	ओम प्रकाश प्रसाद	(सूचिका का ससुर)
(ii).अभियोजन साक्षी संख्या–2	कमलेश यादव	अन्य साक्षी
(iii).अभियोजन साक्षी संख्या–3	सुषमा देवी	(सूचिका एवं वाद के जख्मी)
(iv).अभियोजन साक्षी संख्या–4	पवन कुमार	अन्य साक्षी
(v).अभियोजन साक्षी संख्या–5	गौरव कुमार	(सूचिका के पति)

बचाव पक्ष / गवाह की सूची

B. बचाव पक्ष की गवाह, यदि है तो

क्रम सं0	नाम	गवाह की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सक गवाह, पंच,अन्य गवाह

C. न्यायालय की गवाह, यदि है तो

अभियोजन / बचाव **पक्ष /** न्यायालय प्रदर्श की सूची

A. अभियोजन

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**

B. बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**

C. न्यायालय प्रदर्श

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**

D. वस्तु / सामग्री

क्रमांक	**प्रदर्श सं0**	**विवरणी**

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0 / –
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह
विशेष न्यायाधीश (SC/ST)
बिहारशरीफ,नालन्दा
11.08.2026

(लेखापित)
ह0 / –
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह
विशेष न्यायाधीश (SC/ST)
बिहारशरीफ, नालन्दा
11.08.2026